संख्या-328/2018/2228/22-2-2017-17(576)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 16 अप्रैल, 2018***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रमेश पुत्र श्री रामरतन निवासी जनपद-उन्नाव की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-32186/प्रोबे0-5-द0या0 बैठक-12.07.2017 दिनांक 05.09.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रमेश पुत्र श्री रामरतन, जो-करियाखेड़ा, थाना-कोतवाली, जनपद-उन्नाव का रहने वाला है। बन्दी द्वारा गवाही न देने के विवाद को लेकर घटना दिनांक 24-10-1978 को 05 अन्य सहअभियुक्तो के साथ मिलकर देशी तमंचा से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या का अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-421/1979 में भा0द0वि0 की धारा-148,302 के अन्तर्गत मा0 तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,उन्नाव के आदेश दिनांक 18.03.1980 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 14.07.2004 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 11.06.2016 तक 11 वर्ष 08 माह 04 दिन की अपरिहार सजा तथा 15 वर्ष 05 माह 29 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी उम्र, काटी गयी सजा, कारित अपराध की प्रकृति के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की **संस्तुति नहीं** की गयी है।

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी रमेश (बन्दी संख्या-23868) पुत्र श्री रामरतन निवासी जनपद-उन्नाव की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-328/2018/2228(1)/22-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in